

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2243/2026

Durga Ram S/o Motaram, Aged About 33 Years, R/o Bhomasar
P.s Panchodi District Nagour. (Presently Lodged In Sub Jail
Nagaur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mangi Lal Vishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Ravindra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना—गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—**154/2024** अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम** में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को 8/15, 29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में झूठा संबद्ध किया गया है। उनका कथन है कि प्रकरण में सहअभियुक्तगण नारायण राम, कन्हैयालाल व पवन की जमानत याचिकाएं पूर्व में ही समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध नारायण राम की सूचना के अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत साक्ष्य इस तथ्य की नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त माल नारायणराम ने उपलब्ध करवाया हो। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत याचिका का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगणों पर टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि सहअभियुक्तगण नारायण राम, कन्हैयालाल व पवन की जमानत याचिकाएं पूर्व में समकक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 25.11.2025 को स्वीकार की जा चुकी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **दुर्गा राम पुत्र मोटाराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J